GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1049

ANSWERED ON – 29/07/2025

'Income Tax Exemptions and Liabilities of Security Personnel'

1049. Ms. Swati Maliwal:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state: -

(a) The number of serving and retired personnel from the Defence Forces, CAPFs, Paramilitary Forces, and other security agencies who filed Income Tax Returns in the past five years, categorized by force and rank;

(b) Total Income Tax Revenue collected from them during this period, including on salary, pension, allowances, and other income, listed force-wise and year-wise;

(c) The details of current tax exemptions, deductions, and benefits applicable to such personnel;

(d) Whether Government has analysed how many remain taxable despite the recent ₹12 lakh exemption and the findings, force-wise; and

(e) Whether a tax policy review is being considered in recognition of their service?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINSITRY OF FINANCE

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a): Data in respect of the nature of Employment available in the Income Tax Returns includes only the following categories:

Central Government, State Government, Public Sector Undertaking, Pensioners-Central Government, Pensioners-State Government, Pensioners-Public Sector Undertaking, Pensioners-others, Others and NA (Not Applicable).

:_: www.staffnews.in :_:

Details with regard to classification of Employer into Defence forces, CAPs, Paramilitary forces, other security agencies are not captured in the Income Tax Return. Hence, the requisite details are not available.

(b): Data is not available in view of answer to Part a) above.

(c): The Income-tax exemption and deductions as per the following sections of the Income-tax act 1961 are available to the serving and retired personnel from Defence Forces, CAPFs, paramilitary forces, and other security agencies:

Sr. No.	**Provisions under the Income Tax Act, 1961 containing relevant exemptions, deductions, and benefits**	**Description**
1.	**Section 10(10)**	Any gratuity or death-cum-retirement gratuity received subject to the conditions prescribed therein
2.	**Section 10(10A)**	Any payment in commutation of pension received subject to the conditions prescribed therein
3.	**Section 10(18)**	any income by way of— • pension received by an individual who has been in the service of the Central Government or State Government and has been awarded "Param Vir Chakra" or "Maha Vir Chakra" or "Vir Chakra" or such other gallantry award as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf; • family pension received by any member of the family of an individual referred above
4.	**Section 10(19)**	family pension received by the widow or children or nominated heirs, as the case may be, of a member of the armed forces (including para-military forces) of the Union, where the death of such member has occurred in the course of operational duties, in such circumstances and subject to such conditions, as may be prescribed;
5.	**Section 10(23AA)**	Any income received by any person on behalf of any Regimental Fund or Non-Public Fund established by the armed forces of the Union for the welfare of the past and present members of such forces or their dependants;

:_: www.staffnews.in :_:

6.	**Section 10(26BBB)**	any income of a corporation established by a Central, State or Provincial Act for the welfare and economic upliftment of ex-servicemen being the citizens of India.
7.	**Section 80CCH**	Deduction in respect of contribution to Agnipath Scheme made by Central Government and an individual enrolled in the Agnipath Scheme and subscribing to the Agniveer Corpus Fund on or after the 1st day of November, 2022
8.	**Other Deductions**	Beside the above, various other exemptions and deductions as per Chapter VIA are available to such personnel which are available to individual tax payers as per the Income-tax Act, 1961 such as Section 80C, 80D,80E, 80G, 80TTA (depending on the option of Old Tax Regime

It is relevant to state that the provisions mentioned in the above table are generally applicable to taxpayers at large, while certain specific benefits are extended exclusively to serving and retired personnel of the aforementioned forces, subject to the conditions prescribed therein.

(d): Data is not available in view of answer to Part a) above.

(e): At present, no such proposal is under consideration.

*****

:_: www.staffnews.in :_:

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1049

उत्तर दिनांक 29/07/2025

सुरक्षा कर्मियों के लिए आयकर छूट और देयताएँ

1049 **सुश्री स्वाति मालिवालः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले रक्षा बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या का सुरक्षा बल-वार और पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान उनसे वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य आय पर प्राप्त कुल आयकर राजस्व का सुरक्षा बल-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कार्मिकों पर लागू वर्तमान कर छूट, कटौतियों और लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विश्लेषण किया है कि हाल ही में ₹12 लाख की छूट और निष्कर्षों के बावजूद कितने कार्मिकों की आय कर योग्य बनी हुई है, उनका बल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कर नीति की समीक्षा पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): आयकर रिटर्न में उपलब्ध रोजगार की प्रकृति संबंधी डेटा में केवल निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार के पेंशनभोगी, राज्य सरकार के पेंशनभोगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पेंशनभोगी, पेंशनभोगी-अन्य, अन्य और लागू नहीं (लागू नहीं)।

:_: www.staffnews.in :_:

रक्षा बलों, सीएपी, अर्धसैनिक बलों, अन्य सुरक्षा एजेंसियों में नियोक्ता के वर्गीकरण से संबंधित विवरण आयकर रिटर्न में दर्ज नहीं किए जाते हैं। अत: अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ख): उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ग): आयकर अधिनियम 1961 की निम्नलिखित धाराओं के अनुसार आयकर छूट और कटौती रक्षा बलों, सीएपीएफ, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए उपलब्ध है:

क्र. सं.	आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संबंधित छूट, कटौती और लाभ से जुड़े प्रावधान	विवरण
1.	धारा 10(10)	इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन प्राप्त कोई भी ग्रेच्युटी या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी
2.	धारा 10(10ए)	पेंशन के कम्युटेशन में प्राप्त कोई भी भुगतान उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन होगा
3.	धारा 10(18)	किसी भी प्रकार की आय— • किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो और जिसे "परमवीर चक्र" या "महावीर चक्र" या "वीर चक्र" या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, जिसे केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया हो; • उपर्युक्त व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन
4.	धारा 10(19)	विधवा या बच्चों या नामित उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन, जैसा भी मामला हो, संघ सरकार के सशस्त्र बल(अर्द्ध सैनिक बल सहित) जहां ऐसे सदस्य की मृत्यु ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान हुई हो, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा निर्दिष्ट हो;
5.	धारा 10(23एए)	संघ के सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे बलों के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित किसी रेजिमेंटल निधि या गैर-सार्वजनिक निधि की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई आय;

:_: www.staffnews.in :_:

6.	धारा 10(26बीबीबी)	भारत के नागरिक होने के नाते भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की कोई आय।
7.	धारा 80सीसीएच	केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई अग्निपथ स्कीम में किए गए अंशदान और अग्निपथ स्कीम में पंजीकृत कोई व्यक्ति तथा 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में अभिदान करने वाले व्यक्ति के संबंध में कटौती
8.	अन्य कटौतियाँ	उपरोक्त के अलावा अध्याय VIए के अनुसार विभिन्न अन्य छूट और कटौती ऐसे कर्मिकों के लिए उपलब्ध हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध हैं जैसे धारा 80सी, 80डी, 80ई, 80जी, 80टीटीए (पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प के आधार पर)

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रावधान सामान्यतः करदाताओं पर लागू होते हैं, जबकि कुछ विशिष्ट लाभ विशेष रूप से उपर्युक्त बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों को उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान किए जाते हैं।

(घ): उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ङ.): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

:_: www.staffnews.in :_: